

मैसर्स सुपर पॉली फैब्रिक्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पंजाब

(सिविल अपील संख्या 1713, 2007)

24 अप्रैल 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जेजे.]

वित्त अधिनियम, 1994-एस. 65 (19) एवं (25) - सेवा कर - भुगतान करने का दायित्व-निर्धारिती का कंसाइनमेंट में प्रवेश एक कंपनी के साथ स्टॉकिस्टशिप समझौता - सेवा कर की मांग- निर्धारिती इस आधार पर देनदारी से इनकार कर रहा है कि वह समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा-नीचे के प्राधिकारी/अदालतें निर्धारिती को उत्तरदायी ठहराते हैं- अपील पर, आयोजित: तथ्य यह है कि क्या निर्धारिती वास्तव में एक समाशोधन और अग्रेषण एजेंट था, शर्तों से पता लगाया जा सकता है समझौते का वर्तमान मामले में, निर्णय नहीं लिया गया है, मामला निर्धारण के लिए निर्धारण प्राधिकारी को भेज दिया गया है- वित्त नियम, 1994-आर. 7.

अपीलकर्ता-निर्धारिती ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 'कंसाइनमेंट स्टॉकिस्टशिप एग्रीमेंट' समझौता किया। प्रतिवादी-राजस्व ने

अपीलकर्ता-निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी कर 'सेवा कर' का भुगतान करने के लिए कहा। कारण बताते हुए, निर्धारिती ने कहा कि वह गेल के समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा था। राजस्व ने सेवा कर का भुगतान निर्देशित किया। आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी। इसलिए यह वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि उसकी गतिविधियां समाशोधन और अग्रेषण एजेंट की नौकरी तक विस्तारित नहीं थीं कि उसने केवल अपने प्रिंसिपल की ओर से प्रस्ताव स्वीकार किए थे।

प्रतिवादी-राजस्व ने तर्क दिया कि यदि समझौते को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो अपीलकर्ता, इसके प्रमुख की ओर से आदेश प्राप्त करने के अलावा, माल के लिए बीमा कवर और माल की बिक्री भी प्राप्त करता था जो कि दायरे में आता था। समाशोधन और अग्रेषण गतिविधियाँ; और ऐसी गतिविधियाँ मुख्य उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं होने के कारण, करदाता को कर का भुगतान करने के लिए उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जिस उद्देश्य और उद्देश्य के साथ पार्टियों ने अनुबंध में प्रवेश किया है, उसे केवल उसके नियमों और शर्तों से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न तो दस्तावेज़ का नामकरण और न ही अनुबंध के पक्षों द्वारा की गई कोई विशेष गतिविधि निर्णायक होगी। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या अपीलकर्ता वास्तव में एक समाशोधन और अग्रेषण एजेंट था या वह केवल गेल के लिए और उसकी ओर से आदेश स्वीकार कर रहा था, इसे समझौते की शर्तों से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। [पैरा 8 और 11] [1081-बी; जी]

वी. लक्ष्मणन बनाम बी.आर. मंगलगिरि और अन्य। 1995 सप्लि(2) एससीसी 33; असम लघु औद्योगिक कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम जे.डी. फार्मास्यूटिकल्स और अन्य। 2005 (8) स्केल 298- के अनुसार अभिनिर्धारित।

2. समझौते का शीर्षक है. "कंसाइनमेंट स्टॉकिस्टशिप समझौता"। अपीलकर्ता के पास इसके अंतर्गत निष्पादित करने के लिए विभिन्न कार्य हैं। इस प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक है कि क्या समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में अपीलकर्ता की कथित नौकरी उसकी मुख्य

गतिविधि, अर्थात् ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करना और कंपनी के विभिन्न ग्राहकों को उत्पाद बेचने के लिए आकस्मिक थी या नहीं। कारण बताने के लिए नोटिस में इसकी गतिविधियों को उत्पाद की बिक्री और/या बुकिंग ऑर्डर प्राप्त करना बताया गया है।

क्या उपरोक्त स्थिति में, अपीलकर्ता के पास सेवा कर का भुगतान करने की कोई योग्यता होगी या नहीं यह निर्धारित नहीं किया गया है। इसकी प्रमुख गतिविधियाँ, निर्धारित नहीं की गई हैं। अपीलकर्ता मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ है। यदि मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया जाता है और पक्षों को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो मुद्दे के निर्धारण के लिए आवश्यक पाए जाते हैं, तो न्याय के हित में मदद मिलेगी। [पैरा 17, 18, 19, 20 और 21] [1083-एच; 1084-ए, डी, ई, एच; 1085-एसी]

लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड बनाम सेंट्रल कमिश्नर उत्पाद शुल्क, चेन्नई 2006 (3) एसटीआर 321 (टी-एलबी); मेडप्रो फार्मा प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, चेन्नई 2006 (3) एसटीआर 355 (टी-एलबी) - संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1713/2007

अपील संख्या ST/95/05 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के निर्णय और आदेश संख्या 363/06-ST दिनांक 25 और 26.9.2005

अपीलकर्ता की ओर से पी.के. साहू और राधा श्याम जेना।

प्रतिवादी की ओर से गोपाल सुब्रमण्यम, एएसजी, आशीष जैन और बी. कृष्ण प्रसाद।

निर्णय न्यायालय सुनाया गया - एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अपील में उठाये गये संक्षिप्त प्रश्न है कि क्या इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता कोई सेवा प्रदान करता है ताकि सेवा कर का भुगतान करने का दायित्व वहन कर सके।

2. उक्त प्रश्न की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

यहां अपीलकर्ताओं ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के साथ 'कंसाइनमेंट स्टॉकिस्टशिप एग्रीमेंट' शीर्षक से एक समझौता किया।

3. अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रश्न उठता है कि किस आधार पर उन्हें सेवा कर का भुगतान करने के लिए कहा गया।

दिनांक 20.10.2003 को अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें यह कहते हुए कारण दर्शाया गया कि गेल के क्लियरिंग एवं फारवर्डिंग एजेंट के रूप में उसके द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। दिनांक 17.3.2004 को डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल एक्साइज द्वारा मूल आदेश पारित किया गया था, जिसमें कारण बताओ नोटिस के तहत मांग

के अनुसार ब्याज के साथ सेवा कर का भुगतान करने और साथ ही जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया था।

4. अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध दायर की गई अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.02.2005 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा की गई एक और अपील खारिज कर दी गई है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अभिभाषक श्री पी.के. साहू ने आक्षेपित आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि उनके बयान से यह स्पष्ट होगा कि अपीलकर्ता अपने सिद्धान्त और अपनी गतिविधियों की ओर से प्रस्ताव को लगभग स्वीकार कर सकता है। समाशोधन और अग्रेषण एजेन्ट के काम तक निस्तारित नहीं होने पर आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है।

यह आग्रह किया गया कि अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की देनदारियों का निर्धारण इस आधार पर किया गया कि एक प्रसंस्करण एजेंट एक समाशोधन और अग्रेषण एजेन्ट होगा जैसा कि प्रभात जर्दा फैक्टर (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम सीसीई, पटना (2002 (145) ईएलटी 222] में अभिनिर्धारित किया गया जो बाद में बड़ी बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे ट्रिब्यूनल के आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम का तर्क था कि एक दस्तावेज़ समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को न केवल गैल की ओर से आदेश प्राप्त होते हैं बल्कि सामान और बिक्री के लिए बीमा कवर भी मिलता है जो स्पष्ट रूप से समाशोधन और अग्रेषण गतिविधियों के दायरे में आएगा। अपीलकर्ता की ओर से इस तरह की गतिविधियों का आग्रह किया गया था, क्योंकि यह उस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है जिसके लिए इसे स्टॉकिस्ट एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए लगाए गए फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

7. इससे पहले कि हम पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करें, हम अधिनियम की धारा 65(19) और धारा 65(25) में निहित 'समाशोधन और अग्रेषण एजेंट' के साथ-साथ 'व्यावसायिक सहायक सेवा' की परिभाषा पर ध्यान दे सकते हैं। जो निम्नानुसार है:-

"65(19) "व्यावसायिक सहायक सेवा" का अर्थ

है-

(i) ग्राहक द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई या उससे संबंधित वस्तुओं का प्रचार या विपणन या बिक्री; या

(ii) ग्राहक द्वारा प्रदान की गई सेवा का प्रचार या विपणन;  
या

(iii) ग्राहक की ओर से प्रदान की गई कोई ग्राहक सेवा; या

(iv) वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, जो ग्राहक के लिए  
इनपुट हैं; या

(v) ग्राहक के लिए या उसकी ओर से माल का उत्पादन या  
प्रसंस्करण;

(vi) ग्राहक की ओर से सेवा का प्रावधान; या

(vii) उप-खंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के लिए प्रासंगिक या सहायक सेवा, जैसे बिलिंग, जारी करना या संग्रह करना या चेक की वसूली, भुगतान, खातों का रखरखाव और प्रेषण, इन्वेंट्री प्रबंधन, मूल्यांकन या विकास संभावित ग्राहक या विक्रेता का विकास, जनसंपर्क सेवाएँ, प्रबंधन या पर्यवेक्षण, और इसमें कमीशन एजेंट के रूप में सेवाएं शामिल हैं, लेकिन इसमें कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और कोई भी गतिविधि शामिल नहीं है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर "निर्माण" के बराबर है।

(25) "समाशोधन और अग्रेषण एजेंट" का अर्थ कोई भी व्यक्ति है जो सीधे या किसी भी सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरीके से समाशोधन और अग्रेषण संचालन से जुड़ा हुआ है और इसमें एक कंसाइनमेंट एजेंट भी शामिल है;

8. इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता कि किसी दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। जिस उद्देश्य और उद्देश्य के साथ पार्टियों ने अनुबंध में प्रवेश किया है, उसे केवल उसके नियमों और शर्तों से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न तो दस्तावेज़ का नामकरण और न ही अनुबंध के पक्षों द्वारा की गई कोई विशेष गतिविधि निर्णायक होगी।

9. वी. लक्ष्मणन बनाम बी.आर. मंगलगिरि और अन्य। [1995 सप्प. (2) एससीसी 33], ने व्याख्या की कि अग्रिम धन के भुगतान को निर्धारित करने वाले खंड और बिक्री विलेख में बयाना राशि का प्रावधान नहीं किया गया है: जैसा

"अनुबंध अग्रिम में दिया गया नामकरण या लेबल, निर्णायक या अपरिवर्तनीय नहीं है।"

10. असम लघु उद्योग विकास. कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम जे.डी. फार्मास्यूटिकल्स और अन्य। [2005 (8) स्केल 298 =

(2005) 13 एससीसी 19], राज्य निगम और लघु औद्योगिक इकाई के बीच हुए समझौते के नामकरण की निर्णायकता पर निम्न राय दी गई:

"किसी दस्तावेज़ में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ 'प्रिंसिपल' और 'एजेंट' निर्णायक नहीं हैं। लेन-देन की प्रकृति को वहां मौजूद सार के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है, न कि प्रयुक्त नामकरण के आधार पर। दस्तावेज़ों का अर्थ निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए: इसके सन्दर्भ में 'लेबल' अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।"

11. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या अपीलकर्ता वास्तव में एक समाशोधन और अग्रपेक्षा एजेंट था या वह केवल गेल के लिए और उसकी ओर से आदेश स्वीकार कर रहा था, इसे समझौते की शर्तों से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

12. अधिनियम की धारा 68 में परिकल्पना की गई है कि किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेवा कर का भुगतान करना होगा इसकी धारा 66 में ऐसी दर और ऐसी अवधि के भीतर निर्दिष्ट दर, जो निर्धारित की जा सकती है। अधिनियम की धारा 70 सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है।

13. वित्त नियम, 1994 के नियम 7 में निर्धारिती द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अर्धवार्षिक रिटर्न जमा करने का प्रावधान है। धारा 77 किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसके लिए कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया गया है।

14. यदि, अपीलकर्ता मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुए। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.2.2005 में. अन्य बातों के साथ-साथ इस पर ध्यान दिया कि,

"अपील के दौरान 12.7.2004 और 20.7.2004 को निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, मैं रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने जा रहा हूं। मैंने मामले के तथ्यों और रिकॉर्डों को ध्यान से अवलोकन किया है कि इसमें शामिल मुद्दा अपीलकर्ता द्वारा सेवा कर का भुगतान न करना है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कमीशन के रूप में प्राप्त राशि पर सेवा कर लगाना कानूनी नहीं है। धारा 65(25) के तहत "सी एंड एफ एजेंट" "किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी

भी तरीके से समाशोधन और अग्रेषण संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी कोई भी सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और "सी एंड एफ एजेंट" में कंसाइनमेंट एजेंट शामिल है। अपीलकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे मेसर्स गेल के लिए खरीद उसके आदेश से कर रहे थे। चूंकि प्रासंगिक अवधि के दौरान अपीलकर्ता मेसर्स गेल को सेवाएं प्रदान कर रहा था, इसलिए उनसे सेवा कर की सही मांग की गई है।"

15. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने समझौते के खंड 4, 5, 11, 14 और 15 पर भरोसा करते हुए राय दी कि "एजेंट माल को संभालने या उसकी आवाजाही से बिल्कुल भी चिन्तित नहीं थे। वर्तमान मामले के विपरीत माल की आवाजाही जहां कंसाइनमेंट एजेंट को प्रिंसिपल के कारखाने से माल उठाना होता है और उसे या तो सीधे खरीदारों को वितरित करना होता है या भविष्य की बिक्री और डिलीवरी के लिए उसे अपने गोदाम में लाना होता है। हमारे जांच के दायरे में आए समझौते से यह भी प्रतीत होता है कि हवाई, सड़क या जलमार्ग के माध्यम से परिवहन में डिलीवरी में देरी का दायित्व पूरी तरह से अपीलकर्ता पर है। इस तथ्य का अधिक स्पष्ट संकेत है कि अपीलकर्ता को अपनी एजेंसी की शर्तों के अनुसार डिलीवरी के लिए सामान उठाना और आवश्यक पारगम व्यवस्था करके

खरीदारों को वितरित करने की व्यवस्था करना आवश्यक था। इसलिए, सामान उठाने, प्राप्त करने, स्टॉक करने और खरीदारों तक पहुंचाने की गतिविधियां स्पष्ट रूप से गतिविधियों की एक स्पष्ट श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें समाशोधन और अग्रेषण संचालन शामिल हैं।"

16. उच्च न्यायालय ने लार्सन एंड टूरबो लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई [(2006) 3 एसटीआर 321 (टी-एलबी)] और मेडप्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई, चेन्नई [(2006) 3 एसटीआर 355 (टी-एलबी)], के फैसले को अलग करते हुए राय व्यक्त की:

"इस संदर्भ में, धारा 65(105)(1) को पढ़ने से यह पता चलेगा कि 'करयोग्य सेवा' का अर्थ एक समाशोधन और अग्रेषण एजेंट द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा होनी चाहिए, जिसमें कंसाइनमेंट एजेंट सब प्रकार से समाशोधन और अग्रेषण कार्यों के लिए शामिल हैं। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता निश्चित रूप से एक कंसाइनमेंट स्टॉकिस्ट है, जो कारखाने गोदाम से सीधे माल की आवाजाही एक या कई तरीकों से खरीददारों को मूलधन के वितरण के चरण तक की जिम्मेदारी लेते हुए "समाशोधन और अग्रेषण संचालन" में सक्रिय रूप से शामिल है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, कि अपीलकर्ता पूरी तरह

से कर ढांचे के भीतर कवर किया गया है, जो 'क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट' के रूप में 'क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग' संचालन के संबंध में लगा हुआ है।"

17. समझौते का शीर्षक "कंसाइनमेंट स्टॉकिस्टशिप" समझौता है। अपीलकर्ता के पास निष्पादित करने के लिए विभिन्न कार्य हैं। वह किसी भी परिवहन की व्यवस्था नहीं करता है। यह हालांकि गोदामों की व्यवस्था करता है। यह बीमा कम्पनी से सर्वेक्षण करवाता है। उसे अपनी अभिरक्षा में मौजूद स्टॉक के संबंध में तारीखें बतानी थी। उसे कंपनी के लिए रखे गए शेयरों का पूरा मूल्य वसूलने या कंपनी की ओर से बेचने या ऐसी राशि के लिए गारंटी देनी होगी जो कंपनी अपने विवेक से निर्धारित करेगी। हालांकि, कंपनी को यह बताना होगा उत्पाद की बिक्री के लिए अनुशंसित सूची मूल्य, जिसका अपीलकर्ता हकदार है।

स्थानीय क्षेत्र में चुंगी शुल्क, टर्मिनल टैक्स, बिक्री कर या अन्य स्थानीय करों या लेवी को लागू करना और अपने ग्राहकों से इसकी वसूली करना और इसके लिए उचित खाते बनाए रखना। उक्त समझौते के खंड 13 और 14 माल बेचने के साथ-साथ कंपनी को फॉर्म 'एफ' जारी करने का अधिकार देते हैं।

यह कर संग्रहण के लिए भी उत्तरदायी है।

18. प्रश्न का निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि क्या समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में अपीलकर्ता का अनिवार्य कार्य उसकी मुख्य गतिविधि के लिए प्रासंगिक था, अर्थात् ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करना और कंपनी के विभिन्न ग्राहकों को उत्पाद बेचना या नहीं। कारण बताओ नोटिस में निम्नलिखित तत्व शामिल थे:

"(i) मेसर्स गेल द्वारा कंसाइनमेंट स्टॉकिस्ट (यानी नोटिस प्राप्तकर्ता) को उनके द्वारा बेची गई मात्रा के लिए 500/- रुपये पीएमटी का सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(ii) मेसर्स गेल के उत्पाद के लिए ऑर्डर प्राप्त करने/बुक करने के लिए कंसाइनमेंट स्टॉकिस्ट को 400/- रुपये पीएमटी का भुगतान किया जाएगा।

(iii) मेसर्स गेल द्वारा बुक किए गए ऑर्डर पर उनके स्टॉक से स्थानीय स्तर पर उत्पाद जारी/निकासी के लिए कंसाइनमेंट स्टॉकिस्ट को 100/- रुपये पीएमटी का भुगतान किया जाएगा।"

19. प्रश्नाधीन अवधि 1.9.1999 से 31.7.2002 तक है। कारण बताओ नोटिस में समझौते के केवल पैराग्राफ 20.1 और 20.3 का उल्लेख किया गया था। इसकी गतिविधियों को उत्पाद की बिक्री और/या उत्पाद का बुकिंग आर्डर प्राप्त करना कहा जाता है।

20. उपरोक्त स्थिति में, अपीलकर्ता पर सेवा कर का भुगतान करने का कोई दायित्व है या नहीं, यह निर्धारित नहीं किया गया है। इसकी प्रमुख गतिविधियां, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, निर्धारित नहीं की गई हैं।

21. यह सच है कि अपीलकर्ता मूल्यांकन प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। हालाँकि, इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यदि मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी को भेज दिया जाए तो न्याय के हित में मदद मिलेगी और पक्षों को ऐसे साक्ष्य पेश करने की स्वतंत्रता होगी जो मुद्दे को निर्धारित करने के लिए आवश्यक पाए जा सकते हैं।)

हालाँकि, अपीलकर्ता मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष कोई स्थगन नहीं लेगा और प्रश्न के निर्धारण के मामले में उसके साथ पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

22. उपर्युक्त निर्देशों के साथ दंड के आदेश सहित आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति है।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।



[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्दिरा बनेरा (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।